स्थानीय स्थानांतरण (केंद्रीय विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय) के लिए प्रवेश सूचना

केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशानिर्देश 2026-27 के अनुपालन में, आप सभी को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए, जयपुर मंडल के उन सभी स्टेशनों पर जहां एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय हैं, छात्रों के स्थानीय स्थानांतरण के लिए आवेदन संबंधित विद्यालयों में **15 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026** तक निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा किए जा सकते हैं।

स्थानीय स्थानांतरण (टीसी) और शिफ्ट परिवर्तन पर प्रवेश:

निम्नलिखित मामलों में स्थानीय स्थानांतरण को मामले की योग्यता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है,संबंधित केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा स्थानीय स्थानांतरण पर विचार करते समय: (i) सरकारी आवास के आवंटन या अभिभावक द्वारा अपने घर में स्थानांतरण के मामले में (सिविल/रक्षा क्षेत्र केवी में प्राथमिकता श्रेणी I से IV और परियोजना/आईएचएल क्षेत्र केवी में प्राथमिकता श्रेणी I से V) पिछले/वर्तमान शैक्षणिक सत्र में।

(ii) ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ अभिभावक द्वारा छात्र/अभिभावक की चिकित्सा आपात स्थिति/गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानीय स्थानांतरण का अनुरोध किया गया हो।

(iii) यदि छात्र का भाई या बहन उसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ प्रवेश मांगा जा रहा है, तो ऐसे मामले में, क्षेत्र के उपायुक्त, भाई या बहन को उन केंद्रीय विद्यालयों में से कम कक्षा संख्या वाले केंद्रीय विद्यालय में स्थानीय स्थानांतरण की मंजूरी देंगे।

(iv) स्थानांतरण की अनुमति संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा केवल तभी दी जाएगी जब बच्चे का भाई या बहन दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हो। इस संबंध में किसी अन्य आधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट: उपरोक्त बिंदु (क) और (ख) के मामले में, स्थानीय स्थानांतरण सरकारी आवास/स्वयं के घर के निकटतम केंद्रीय विद्यालय में 50 की कक्षा संख्या के भीतर दिया जा सकता है। यदि कक्षा संख्या 50 से अधिक है, तो किसी अन्य निकटतम केंद्रीय विद्यालय पर विचार किया जा सकता है।

(1) स्थानीय स्थानांतरण प्रवेश के लिए 02 प्रपत्र बनाए गए हैं। अभिभावक मामले के अनुसार प्रपत्र की 04 प्रतियां भरेंगे और छात्र/छात्राओं के वर्तमान विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन के बाद, अभिभावक स्थानीय स्थानांतरण वाले विद्यालय में प्रपत्र जमा करेंगे।

(2) स्वास्थ्य कारणों से स्थानांतरण के मामले में, केवल सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा, जिसमें बीमारी और समस्या का स्पष्ट उल्लेख हो।

यदि किसी निजी डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उस पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर की एक प्रति प्राप्त करना आवश्यक होगा और डॉक्टर का पंजीकरण क्रमांक और मोबाइल नंबर भी उस पर अंकित होना चाहिए। केवल यही स्वीकार्य होगा। अन्य कोई दस्तावेज नहीं।

07/04/2026

प्राचार्य

Scanned with OKEN Scanner